

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022—ज्येष्ठ 10, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र. एफ ए 3-63-2020-1-पांच (30).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-6-63-2020-1-पांच-(87) भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020, अधिसूचना क्र. एफ ए-3-63-2020-1-पांच (71), भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 एवं अधिसूचना क्र. एफ ए-3-63-2020-1-पांच (12), भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द "31 मई, 2022" के स्थान अंक एवं शब्द "31 अगस्त, 2022" प्रतिस्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र. एफ ए 3-63-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-63-2020-1-पांच (30), दिनांक 31 मई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May 2022

No. F A 3-63-2020-1-V(30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 6-63-2020-1-V-(87), dated 29th December, 2020, Notification No. F A 3-63-2020-1-V-(71), dated 29th October, 2021 and Notification No. F A 3-63-2020-1-V-(12), dated 31st January, 2020 namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure "31st May, 2022", the word and figure, "31st August, 2022" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.